



आर.ई.ओ.43

जोधपुर

विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अअ-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रे० 1784 दिनांक 21.12.02

आदेश

विषय :- बिना ट्रांसफार्मर के एल.टी.लाईन के विस्तार द्वारा होने वाले कृषि कनेक्शनों को प्राथमिकता से जारी करने के सम्बन्ध में ।

समन्वय समिति की 49 वी बैठक दिनांक 30.11.2002 में निर्णय लिया गया है कि वे कृषि कनेक्शन जो कि केवल एल.टी.लाईन के विस्तार द्वारा जारी किये जा सकते हैं ऐसे कनेक्शनों को ट्रांसफार्मर के स्थापित होने पर जारी होने वाले कनेक्शनों पर वरीयता (Over riding priority) दी जाकर कनेक्शन जारी कर दिये जावें।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(एच०एस०देवडा)

उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर